कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / स–4 / 21313 / 2011–12 दिनांक : 7.7.2011

:: कार्यालय आदेश ::

गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित उच्च प्राथमिक को माध्यमिक, माध्यमिक को उच्च माध्यमिक स्तर क्रमोन्नति तथा विद्यमान उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय / विषय खोलने की स्वीकृति की इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2011–12 के लिए प्रस्ताव समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 14.3.2011 के द्वारा आमन्त्रित किए गये थे, उसी के अनुसार समय–समय पर समावधि बढ़ाई गयी थी। उसी क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प0 9(2) शिक्षा–5 / 2010 पार्ट जयपुर दिनांक 6.7.2011 के क्रम में एक अतिरिक्त अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :–

(1) नवीन आवेदनकर्ता (गैर सरकारी संस्था) से लिया जाने वाला शुल्क :

क्र0स0	स्तर	मान्यता आवेदन शुल्क की राशि	आरक्षित कोष की राशि
1	माध्यमिक	7000 / – रू. 10000 / – रू विलम्ब शुल्क	50000 / – रू.
2	उच्च माध्यमिक	10000 / – रू. प्रति संकाय तीन विषयों के अतिरिक्त प्रति विषय के लिए 3000 / – रू. अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी। 10000 / – रू विलम्ब शुल्क	80000 / – रू. (प्रति अतिरिक्त संकाय के लिए 30000 / – अतिरिक्त आरक्षित कोष की राशि जमा करानी होगी।)
3	विद्यमान उमावि में अतिरिक्त विषय / संकाय	10000 / – रू आवेदन शुल्क तीन विषयों के अतिरिक्त प्रति विषय के लिए 3000 / – रू. अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी। 10000 / – रू विलम्ब शुल्क	उपरोक्तानुसार

(2) जिन गैर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सत्र 2011–12 के लिए पैनल निरीक्षण के समय नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नही करने वाले संस्थाओं यदि अब लिखित में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेने तथा पुनः निरीक्षण का अनुरोध संबंधित जिशिअ को करती है तो उसे निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है। (31.3.2011 तक प्रस्तुत आवेदन) :–

क्र0सं0	स्तर	शुल्क
1.	माध्यमिक स्तर	7000 / – रू आवेदन शुल्क 10000 / – रू विलम्ब शुल्क
2.	उच्च माध्यमिक स्तर	10000 / – रू आवेदन शुल्क 10000 / – रू विलम्ब शुल्क
3	विद्यमान उमावि में विषय / संकाय	10000 / – रू आवेदन शुल्क 10000 / – रू विलम्ब शुल्क

इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक शिविरा–माध्य/मा/ए–2/21313/2011–12 दिनांक 14.3.2011 द्वारा जारी विज्ञप्ति में वर्णित सभी शर्ते सथावत रहेगी।

नवीन एवं पुराने आवेदनकर्ता (गैर सरकार संस्था) अपना आवेदन पत्र निम्नानुसार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा) को प्रस्तुत करेंगे :–

क्रम सं0	विवरण	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रस्तुत करना।	31 जुलाई 2011
2	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवाकर अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना।	10 अगस्त, 2011
3	इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।	19 अगस्त, 2011

(भास्कर ए0 सावन्त)
आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक : शिविरा–मा./माध्य/अ–4/21313/2011–12 दिनांक : 7.7.2011

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)
6. ए0सी0पी0, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली

(भास्कर ए0 सावन्त)
आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर